राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............1638/2015........................... जिला ....श्रीगंगानगर...

उनवान : मैसर्स किशनपुरिया उद्योग, नई मण्डी, घड़साना, श्रीगंगानगर
बनाम
1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर सूरतगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**	
05/11/2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 252/आरवेट/सूरतगढ़/14–15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.08.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–सूरतगढ़, हनुमानगढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2009–10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 18, 26, 58 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.08.2014 की पुष्टि की है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री वी. के. पारीक एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **एस.बी. वैट रिविजन पिटिशन नं0 135/2013 ब्रिजलाल पवन कुमार हनुमानगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ में पारित निर्णय दिनांक 3.9.2014** की प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में वर्तमान प्रकरण के समान तथ्यों पर आधारित मांग को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया है। अतः प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 3,62,877/– पर स्थगन आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। **लगातार..........2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या...........1638 / 2015.......................... जिला ....श्रीगंगानगर...

उनवान : मैसर्स किशनपुरिया उद्योग, नई मण्डी, घड़साना, श्रीगंगानगर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर सूरतगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05 / 11 / 2015	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्धरित निर्णय दिनांक 3.9.2014 का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में बकाया शेष राशि **रूपये 3,62,877 / –** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक **07.01.2016** को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे। 5-11-2015 05/11/2015 **सदस्य** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **अजमेर**	